

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 6194 / पटना, दिनांक 04.08.17

05/नि. अके. अरा. पदा. स्था. - 49/2016

प्रेषित,

निबंधित डाक से


श्री संजीव कुमार,
पिता का नाम - श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा,
अनुक्रमांक - 11422246,
पता - श्रीकृष्णा नगर, राजाबाजार,
जिला-जहानाबाद- 804408

- विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2407/2007 के आधार पर सहकारिता विभाग अन्तर्गत "अंकेक्षक" के पद पर योगदान के संबंध में।
प्रसंग :- विभागीय नियुक्ति-सह-पदस्थापन आदेश ज्ञापांक/दिनांक 7633 दिनांक 08.09.16 एवं पत्रांक 4858 दिनांक 16.06.17

उपर्युक्त विषयक आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा आपकी नियुक्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत 'अंकेक्षक' के पद पर की जा चुकी है। परन्तु, निर्धारित 30 (तीस) दिनों की अवधि में आपके द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं किया गया है। इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.06.17 द्वारा दिनांक 31.07.2017 तक योगदान हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किए जाने के आलोक में आपके पत्र दिनांक 25.07.17 द्वारा सूचित किया गया है कि आप वर्तमान में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार, पटना अंतर्गत कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर जिला सांख्यिकी कार्यालय नवादा में पदस्थापित हैं। उक्त पैतृक विभाग से विभागीय अनुमति प्राप्त होने तक आपकी अभ्यर्थिता वरकरार रखने का अनुरोध किया गया है ताकि विभागीय अनुमति उपरान्त आप अंकेक्षक के पद पर योगदान कर सकें।

परन्तु आप अवगत हैं कि आपके नियुक्ति पत्र ज्ञापांक 7633 दिनांक 08.09.16 द्वारा आपको पद पर योगदान हेतु 30 दिनों की अवधि अनुमान्य की गई थी तथा उक्त अवधि के काफी पूर्व बीत जाने के बाद भी आपकी ओर से इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया। आपके वर्तमान आवेदन के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है कि आपने अपने पैतृक विभाग से विभागीय अनुमति प्राप्त करने हेतु क्या कार्रवाई की है तथा इसमें कितना समय लगने की संभावना है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के संबंध में साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आपकी अभ्यर्थिता आयोग को वापस किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।



(अशोक कुमार)

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।